# प्रेस नोट

## सराहनीय कार्य कानपुर देहात
## दिनांक- 03.02.2026

- **थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाकर दुष्कर्म की घटना कारित करने 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना डेरापुर पर दिनांक 28.01.2026 को वादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री उम्र 15 वर्ष को गांव का ही विपक्षी विशाल पुत्र गोविन्द कश्यप दिनांक 22.01.2026 को समय करीब 12 बजे कस्बा मुंगीसापुर से बहला फुसलाकर अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर मुंगीसापुर ओयो होटल ले जाने व वादिनी की नाबालिग पुत्री को चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर बलात्कार करना एवं होश आने पर वादिनी की नाबालिग पुत्री द्वारा शोर मचाने पर किसी को बताने पर चाकू से काट डालने, तथा विशाल व उसका दोस्त लल्ला पुत्र नन्हे कश्यप द्वारा मारपीट, जाति सूचक गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 0021/2026 धारा 65(1)137(2)/123/127(2)/115(2)/352/351(3)/61(2) बीएनएस ¾(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2) एससी/ एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना क्षेत्राधिकारी डेरापुर द्वारा सम्पादित की जा रही है। थाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर नामित अभियुक्त विशाल पुत्र गोविन्द कश्यप निवासी ग्राम अगवासी थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को डुबकी पुल से भडपुरा की ओर देवेन्द्र नायक के खेत के पास ग्राम भड़पुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-**

1.विशाल पुत्र गोविन्द कश्यप उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम अगवासी, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात।

**गिरफ्तार करने वाली थाना डेरापुर पुलिस टीम-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजेश कुमार
2. उ0नि0 श्री अरविन्द तिवारी
3. का0 1030 सुमित राठी।